

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1995 (भाद्र 20, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

- (क) क्रमांक एफ.9-11-95-तेईस-यो-2 दिनांक 25 जून, 1995 ; तथा
(ख) क्रमांक एफ.9-11-95-तेईस-यो-2 दिनांक 29 जुलाई, 1995,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना सहकारी शक्कर कारखाने के प्रबंधकों द्वारा कृषकों से क्रय किये गये गन्ने की कीमत का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, मोती कश्यप, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर शहर के जयनगर में एक राजनैतिक महिला कार्यकर्ता की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88-बैकुण्ठपुर के सदस्य श्री रामचन्द्र सिंह देव को अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. नगरीय कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री तनवन्त सिंह कीर, नगरीय कल्याण मंत्री, दिनांक 24 अगस्त, 1994 को पूछे गये अतारोक्त प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 28) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देगे.

6. वर्ष 1987-88 के आधिकार्यों के विवरण का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1987-88 के आधिकार्यों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

7. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) को वापस लिये जाने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक वापस लेंगे.

(2) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

